

संख्या:ए1/320/आईसीटीटी-कंपीटीटीवनेस/2021-टी

दि. 24.11.2021

व्यापार सूचना संख्या 16/2021

विषय: आईसीटीटी में कंटेनर जहाजों के लिए पोत संबंधी प्रभार पर छूट।

व्यापार परिपत्र संख्या एफडी/कॉस्टिंग/कंसेशन/वीआरसी/आईसीटीटी/2020, दिनांक 22.12.2020 और व्यापार परिपत्र संख्या 02(a)/2021 दिनांक 15.03.2021 के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी ने आईसीटीटी में कंटेनर जहाज कॉल के लिए पोत संबंधित प्रभार में निम्नलिखित छूट की मौजूदा रियायत योजना की वैधता को 31.12.2021 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

क्रमांक	रियायत
1.	एक ही ऑपरेटर द्वारा मेनलाइन सेवाओं के लिए परिभाषित कॉल के किसी भी पोर्ट को जोड़ने वाले मेनलाइन कंटेनर वेसल कॉल (तदर्थ) के लिए वीआरसी पर छूट (मेनलाइन कंटेनर वेसल सेवाओं के लिए लागू नहीं)।
2.	कोलंबो के अलावा, और कोलंबो को सीधे या तूतीकोरिन के माध्यम से न जोड़ते हुए विदेशी गंतव्यों हेतु फीडर सेवाओं के लिए वीआरसी पर छूट।
3.	बांग्लादेश को सीधे या किसी भारतीय बंदरगाह के माध्यम से फीडर सेवाओं के लिए वीआरसी पर छूट।
4.	विशाखापट्टनम, कोलकाता और हल्दिया को तटीय फीडर सेवाओं के लिए वीआरसी पर छूट।
5.	कोचिन और कोलंबो के बीच संयोजकता पर ध्यान दिए बिना कोलंबो के अलावा, विदेशी गंतव्यों के लिए फीडर सेवाओं के लिए वीआरसी पर छूट।
6.	साप्ताहिक डबल-डिपिंग कॉल के साथ कोचिन और मध्य पूर्व के बीच फीडर सेवाओं के लिए वीआरसी पर छूट।
7.	प्रति कॉल एक्ज़िम ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों के 100 या अधिक टीईयू हस्तन करने वाले विदेशी और तटीय जहाजों के लिए वीआरसी पर छूट।

व्यापार फ्रार्टनेटी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और कोचिन पोर्ट के माध्यम से व्यापार बढ़ाने का प्रयास करें। कृपया इस जानकारी को अपने प्रमुख व्यापार भागीदारों को प्रसारित करें।


24 Nov. 2021
यातायात प्रबंधक

सेवा में,

1. कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन, कोचिन
2. कोचिन कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन, कोचिन
3. कोचिन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोचिन-3
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईजीटीपीएल

प्रति:

अध्यक्ष का निजी सचिव, उपाध्यक्ष का निजी सचिव, सभी विभाग प्रमुख वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक(ईएण्डओ)
सहायक यातायात प्रबंधक(सीएफएस)
वरिष्ठ उप निदेशक(ईडीपी), अधिकारिक वेबसाइट में व्यापार सूचना अपलोड करने हेतु हिन्दी अनुभाग- हिन्दी अनुवाद हेतु।